रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 372] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 1985/श्रावण 29, 1907
No. 372] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 1985/SRAVANA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1985

सं. 270/85-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 670(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुंटूर रेल स्टेशन (आंध्र प्रदेश) पर स्थित रेड्डीपालेम माल गोदाम

को, आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या ऐसे माल के किसी वर्ग की लदाई के लिए, अन्तर्देशीय आधान डिपो नियत करती है ।

[फा. सं. 434/10/83-सी. शु. IV]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 1985

NO. 270|85-CUSTOMS

G.S.R. 670(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Reddipalem Goods Shed at Guntur Railway Station (Andhra Pradesh) as an inland container depot for the unloading of imported goods and the loading of exports goods or any class of such goods.

[F. No. 434|10|83-CUS. IV]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985